2/12/2025 पत्रा. पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थी वकील
की बहस सुनी गई. प्रार्थी वकील के कथन
रहे कि प्रार्थीगण की बन्दोबस्ती हाल अराजी
खसरा नं. 727 रकबा 0.77 हैक्टे., जो
साबिक खसरा नं. 353 रकबा 3 बीघा
1 बिस्वा से निर्मित किया गया है। वाके
ग्राम गगवाना तहसील नदबई में स्थित है।
मौके पर उक्त रकबा 0.77 हैक्टे. मौजूद है।
जो कि भू प्रबंध विभाग संवत 2060 द्वारा
पूर्व नक्शा के विपरीत आकार में छोटा
दर्शाया गया है. जो मौके के विपरीत है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा नं. 727 के नीचे हाल आराजी खसरा नं. 730 रकबा 0.71 व 471 रकबा 1.00 गैर मुमकिन पोखर जो साबिक खसरा नं. 347 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा से निर्मित किया गया है, को भी हाल नक्शा में गलत निर्मित कर दर्शाया गया है। क्योंकि ये दोनों आपस में मिले हुए है। इसलिये प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 727 के हाल नक्शा को पूर्व नक्शा के मुताबिक दुरुस्त किया जावे तथा ख.नं. 730 को प्रार्थीगण के ख.नं. 727 के मजानिब स्तर में स्थित ख.नं. 471 के पास हाल नक्शा में दर्शाया जावे।	
	हमने तहसीलदार रदबई से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक तहसीलदार, रिपोर्ट प्रार्थी की खातेदारी ख.नं. 727/0.77 हैक्टे. का साबिक नक्शा खसरा नम्बरान के आधार पर दुरुस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।	
	हमने प्रार्थी वकील की बहस को सुना, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं तहसीलदार, रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया तो पाया विवादित आराजी खसरा नं. 727/0.77 हैक्टे. मुता. मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 साबिक खसरा नं. 353 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा से निर्मित हुआ है। जो भू. प्रबंध विभाग जमा-संवत 2028 मिलान क्षेत्रफल में खाता संख्या 13 पर खसरा नं. 353 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के रूप में अंकित है। तथा हाल आराजी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ख.नं. 471/01 हैक्टे. तथा ख.नं. 730/0.71 हैक्टे. मुता. मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 साबिक खसरा नं. 347 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा से निर्मित हुआ है। जो कि भू-प्रबंध विभाग जमा. संवत 2028 के खाता संख्या 147 खिवायचक बिला लगानी खसरा नं. 347 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। मुता. त.न. रिपोर्ट लट्ठा में अंकित ख.नं. 471 का रकबा बराबर करने पर क्षेत्रफल 0.71 हैक्टे. अधिक बनता है। अर्थात ख.नं. 730 का रकबा भी साबिक ख.नं. 347 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा के आधार पर ख.नं. 471 के साथ सही समायोजित होता है। ख.नं. 727 का रकबा नक्शा लट्ठा के मुता. 0.06 हैक्टे. लगभग बनता है। जबकि साबिक ख.नं. के आधार पर इसका रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा होना चाहिए अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर विवादित ख.नं. 727/0.77 हैक्टे. का हाल नक्शा साबिक नक्शा के मुताबिक एवं तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट के आधार पर दुरूस्त किया जाता है। एवं रिपोर्ट अनुसार ही अंकन किया जावे। प्रार्थना-पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नदबई भरतपुर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner